

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-271 / 2019

सुखदेव भुइया

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अपने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के माध्यम से, जिसका धनबाद के सरायढेला में अपना कार्यालय है।
2. निदेशक (कार्मिक), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसका कोयला भवन, सरायढेला, धनबाद में अपना कार्यालय है।
3. महाप्रबंधक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बस्ता कोला एरिया नंबर 9, डाकघर एवं थाना-झरिया, जिला-धनबाद।
4. परियोजना अधिकारी, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, शिमला बहाल कोलियरी, बस्ता कोला एरिया नंबर 9, डाकघर एवं थाना-झरिया, धनबाद।

..... उत्तरदातागण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता के लिए : श्री शैलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए : श्री अजय कुमार साह, अधिवक्ता

4/06.3.2020 इस सिविल विविध याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-2084/2018 में उत्तरदाता सं० 3 और 4 के पते और पदनामों में आवश्यक सुधार करने का अनुरोध करता है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्रतिवादी सं० 3 के स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी महाप्रबंधक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बस्ता कोला एरिया नंबर 9, डाकघर एवं थाना-झरिया, जिला-धनबाद और प्रतिवादी सं० 4 परियोजना अधिकारी, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, शिमला बहाल कोलियरी, बस्ता कोला एरिया नंबर 9, डाकघर एवं थाना-झरिया, जिला-धनबाद होंगे। उन्होंने कहा कि

अनजाने में, रिट आवेदन में इन अधिकारियों के नाम और विवरण को गलत तरीके से वर्णित किया गया था। तदनुसार, वह आवश्यक सुधार करने की अनुमति चाहता है। उसी को सही करने के बाद, उन्होंने कहा कि डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-2084/2018 में पारित 28.02.2019 के आदेश को भी परिणामी रूप से सही किया जाना चाहिए।

उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित वकील श्री अजय कुमार साह को याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, मैं याचिकाकर्ता को निर्देश देता हूँ कि डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-2084/2018 के कारण शीर्षक/(काउज टाइटल) में तुरंत आवश्यक सुधार किया जाय।

आदेश दिनांक 28.02.2019 को भी इस हद तक संशोधित किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 3 और प्रतिवादी नंबर 4 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

(i) उत्तरदाता नंबर 3 को 'महाप्रबंधक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बस्ता कोला एरिया नंबर 9, डाकघर एवं थाना-झरिया, जिला-धनबाद' के रूप में पढ़ा जाएगा; और

(ii) उत्तरदाता नंबर 4 को 'परियोजना अधिकारी, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, शिमला बहाल कोलियरी, बस्ता कोला एरिया नंबर 9, डाकघर एवं थाना-झरिया, जिला-धनबाद' के रूप में पढ़ा जाएगा।

इस प्रकार, यह आवेदन अनुमत है।

(आनंदा सेन, न्याया0)